न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी - श्री

प्रकरण संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
42/2018	22.06.2018	06-08-2018

उनवान

[1] रामौतार पुत्र धुरन्दलाल जाति जाट निवासी गंगाबीगाहान तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- प्रार्थी

बनाम

[1] संतोष पत्नि बलवान जाति जाट निवासी पताखेड़ा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- अप्रार्थिया

प्रकरण अं. धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित -

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थी ने अपने अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण अं. धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 1525/0.1500, 1526/0.1900 हैक्टयर वाकै ग्राम पताखेड़ा तहसील कोटकासिम मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थिया संतोष की आराजी मिन प्रार्थी की विवादित आराजी के तरफ पूर्व में व रामनिवास पुत्र लीलाराम की आराजी तरफ उत्तर में, सुभाष पुत्र बदलूराम की आराजी तरफ पश्चिम में व तरफ दक्षिण में सड़क जाती हुई है। अप्रार्थिया संतोष आये रोज मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल तोड़कर रकबा दबा लेती है। विवादित आराजी पर आये रोज लड़ाई झगड़ा व विवाद करती रहती है। इसलिये मिन प्रार्थी ने दिनांक 13.6.18 को इल्का पटवारी

लगातार-

सहायक अधिकारी

Scanned by CamScanner

द्वारा पैमाईश कराके मौके पर मौका फर्द तैयार कर उपस्थित लोगों को हस्ताक्षर कराये जाये। मौका फर्द संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थिया न तो पैमाईश मुताबिक पत्थरगढ़ी करने दे रही और ना ही दबाये हुए रकबे को छोड़ रही। दिनांक 17.6.18 को अप्रार्थिया ने मिन प्रार्थी को धमकी दी कि ना तो पत्थरगढ़ी होने दूंगी और ना ही रकबा छोड़ूंगी। रजिस्टर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिया को जरिये रजिस्टर्ड तलबाना तलब किया गया। अप्रार्थिया बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुई। जिसके खिलाफ दिनांक 30.7.18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि प्रार्थी की आराजीयात से लगता हुआ अप्रार्थिया का रकबा है जो आये रोज विवादित आराजी की डोल को सिमार करती रहती है और विवादित आराजी को लेकर झगड़ा फसाद करती रहती है। मिन प्रार्थी ने विवादित विवादित आराजीयात की पैमाईश कराई लेकिन अप्रार्थिया मुताबिक पैमाईश ना तो पत्थरगढ़ी करने दे रही ना ही दबे हुए रकबे को छोड़ रही। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताबिक पैमाईश दिनांक 13.6.18 के पत्थरगढ़ी कराई जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 13.6.18 के अवलोकन से पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अगर मौका पर कब्जा संबंधी विवाद ना हो तो विवादित आराजी खसरा नं. 1525/0.1500, 1526/0.1900 हे0 वाके ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम की मुताबिक पैमाईश, नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner